कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2985 /12-1 : देहरादूनः दिनांकः 17 जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला बिनगढ़–खुनीगाड़–कुमेड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.51 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/41083/2019)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/105/2021/एफ0सी0/1468, दिनांक 19.2.2020

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या–4057/12–1 दिनांक 27.2.2025 के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	**प्रतिपूरक वनीकरणः** **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्त्ता अभिकरण की लागत पर 5.02 है सिविल सोयम भूमि ग्राम खल्यु खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग ने 5.02 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम खाल्यु लग्गा सिनाऊ, पटवारी क्षेत्र देवर, तहसील पोखरी खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 5723277.00 की धनराशि DBTके माध्यम से खाता सं0 150896141083431 में जमा की जा चुकी है **(संलग्नः–1)** एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाऐगा।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं छवजपपिबंजपवद करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 – 2023 की ळनपकमसपदम के बेंचजमत.2 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 5.02 है0 सिविल सोयम भूमि जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। **(संलग्नः–2)** एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाने की कार्यवाही गतिमान है।
	(ग)प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल,	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

Gen Lett

	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	
2	शुद्ध वर्तमान मूल्यः **(क)** इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ¯च;ब्द्ध संख्याः 202/1995 में ए। नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. ;च्जण2द्ध दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.51 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्वि की जाती है तो बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नः–3)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 215 वृक्षों एवं 36 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/ सिविल सोयम भूमि को चरण–II मंजूरी जारी करने से पहले वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 के प्रासंगिक धारा (ओं) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।। / अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त मान्य है।
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में वचन पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नः–4)**
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग कार्य रोक देगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) वन विभाग के पक्ष में DBTके माध्यम से खाता सं0 150896141083431 में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नः–1 के अनुसार)**
11	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।
	(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तो की सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक /राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहॉ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
6	वैकल्पिक/ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में पॉचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (डंजनतम चसंदजंजपवद) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त मान्य है।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेछानुसार नहीं बदलेंगे।	शर्त मान्य है।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त	लागू नहीं है।

	करेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
12	संबंधित वन मंडल के अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर थ्वतूंतकध् ठंबूंतक इमंतपदहे अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge ij strip plantation करेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया ज़ाएगा। मलवा को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

	(एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत् प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या : 2985 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्जीव प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पोखरी।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

कार्यालय उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone & Fax No-01372252149
Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 4057 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 27/02/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला बिनगढ–खुनीगाड–कुमेडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.51 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/41083/2019)

सन्दर्भः– भारत सरकार के कार्यालय के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/105/2021/एफ0सी0 दिनांक 16.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषय में भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी के पत्रांक 313/15सी0, दिनांक 14.02.2025 पत्र की छायाप्रति सहित 03 प्रतियों में संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क0 सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	**प्रतिपूरक वनीकरणः** **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्त्ता अभिकरण की लागत पर 5.02 सिविल सोयम भूमि ग्राम–खाल्यु खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रस्तावक विभाग द्वारा 5.02 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–खाल्यु लग्गा सिनाऊ, पटवारी क्षेत्र –देवर, तहसील पोखरी खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 5723277.00 की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से खाता सं0 150896141083431 में जमा की जा चुकी है **(संलग्नः–1)**। जहां तक व्यवहारिक होगा स्वदेशी प्रजातियों का रोपण किया जाएगा।
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 & 2023 की Guideline के Chapter-2 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 5.02 है0 सिविल सोयम भूमि जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। **(संलग्नः–2)** एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाने की कार्यवाही गतिमान है।
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
2	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः** **(क)** इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य	शर्त मान्य है।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, ... भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून
पत्रां0 सं0 4009
पत्रावली 12-1
दिनांक 20-3-25

का0अधि0 (प्रभारी) चमोली
अधिकारी
प्रभा0 ... 11-3-2025

	सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.51 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	
	(ख) विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0 वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा जाने सम्बन्धी बचनवद्धता प्रमाण पत्र है। (संलग्नः—3)
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 215 वृक्षों एवं 36 सैंपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर—वन/सिविल सोयम भूमि को चरण—।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामांतरित गैर—वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 के प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण—।। / अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त मान्य है।
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में वचन पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नः—4)
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण—।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग कार्य रोक देगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि ई—पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) वन विभाग के पक्ष में डी0बी0टी0 के माध्यम से खाता सं0 150896141083431 में जमा की जा चुकी है। (संलग्नः— 1 के अनुसार)
11	अनुपालन रिपोर्ट ई—पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है किं अनुपालन रिपोर्ट ई—पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।

	(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तों की सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण-।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	(http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जायेगी। प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉं प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक /राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहॉं भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
6	वैकल्पिक/ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में पॉंचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त मान्य है।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेछानुसार नहीं बदलेंगे।	शर्त मान्य है।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	लागू नहीं है।
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
12	संबंधित वन मंडल के अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहॉं भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

	...बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित ...	
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित ... किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवा को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
21	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
23	उपरोक्त मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(तरूण एस0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(तरूण एस0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,पोखरी

E Mail :-eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 313 /15 सी॰ दिनांक 14/02/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर ।

विषयः— **जनपद— चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला बिनगढ़— खुनीगाड—कुमेडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.51 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/41083/2019)**

सन्दर्भः— **भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIAपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2021/एफ0सी0 दिनांक 16.02.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र सं08बी/ यू0सी0पी0/06/105/2021/एफ0सी0 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	**प्रतिपूरक वनीकरणः** **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.02 सिविल सोयम भूमि ग्राम खल्यु खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.02 सिविल सोयम भूमि ग्राम खल्यु खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 5723277.00 की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से खाता सं0 150896141083431 में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नः—1)**
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 & 2023 की Guideline के Chapter-2 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 5.02 है0 सिविल सोयम भूमि जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। **(संलग्नः—2)**

P.T.O.

	(ग)प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
2	शुद्ध वर्तमान मूल्यः **(क)** इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2)दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.51 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त मान्य है।
	(ख)विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्वि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नः–3)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 215 वृक्षों एवं 36 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित और परिवर्तित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 के प्रासंगिक धारा (ओं) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।। / अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त मान्य है।
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	शर्त मान्य है। **(संलग्नः–4)**
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की	शर्त मान्य है।

	प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग कार्य रोक देगा।	शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल(http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध् जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि ई–पोर्टल(http://parivesh-nic-in/) वन विभाग के पक्ष में डी0बी0टी0 के माध्यम से खाता सं0 150896141083431 में जमा की जा चुकी है।**(संलग्नः– 1 के अनुसार)**
11	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।
	(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तों की सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण–।। अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक /राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीयवन्यजीव बोर्ड की सभी शर्तें, जहाँ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
6	वैकल्पिक/ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में पॉचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व	शर्त मान्य है।

	वृक्षारोपण (Mature plantation)में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेछानुसार नहीं बदलेंगे।	शर्त मान्य है।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मान्य है।
12	संबंधित वन मंडल के अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हों।	शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central vergeपर strip plantation करेगी।	शर्त मान्य है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहॉ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	शर्त मान्य है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित	शर्त मान्य है।

	करने का कार्य किया जाएगा। मलवा को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
21	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है।
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 04 नं0

O/c

14/02/25
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
पोखरी।

पत्रांक 313 /15 सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता, 7वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता–प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

O/c

14/02/25
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
पोखरी।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-02-2025

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT POKHARI
Application No.	6141083431
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive engineer construction division public works department pokhariChamoli
Amount(in Rs)	5723277/-

Amount in Words :Fifty-Seven Lakh Twenty-Three Thousand Two Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896141083431 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-02-2025

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT POKHARI
Application No.	6141083431
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	office of the executive engineer construction division public works department pokhari Chamoli
Amount(in Rs)	5723277/-

Amount in Words :Fifty-Seven Lakh Twenty-Three Thousand Two Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896141083431 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पोखरी (चमोली).

25/2

412/2024

E-Mail

!! आदेश !!

जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला विनगढ़–खुनीगाड़–कुमेड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 02.51 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 05.02 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06/105/2021/एफ0सी0/1468 दिनाँक 19.02.2024 में प्राविधानित शर्तों के अनुसार उप जिलाधिकारी पोखरी के पत्र संख्या–597/र0का0–क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/2024–2025 दिनाँक 20.05.2024 के अनुक्रम में विकास खण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला विनगढ़–खुनीगाड़–कुमेड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 02.51 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम खाल्यू लग्गा सिनाउ, पटवारी क्षेत्र देवर, तहसील पोखरी, जनपद चमोली के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–08 के खसरा संख्या 01 रकवा 1.718 हेक्टेयर, खसरा संख्या–02 रकवा 0.719 हेक्टेयर, खसरा संख्या–54 रकवा 2.007 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या–56 रकबा 1.938 म0 0.576 हेक्टेयर कुल 05.020 हेक्टेयर भूमि, श्रेणी–10 (04) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि भीटा, भूमि को प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/ 2012–18 (120)/2010 दिनाँक 17.12.2012 के आलोक में वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थानः गोपेश्वर,

दिनाँकः जून 2024,

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या– 4474/छब्बीस–21 (2023–2024) दिनाँकः गोपेश्वः तद्दिनाँक हस्ताक्षरित,

प्रतिलिपि– निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
02– प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
03– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
04– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
05– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार पोखरी।
07– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ/केदारनाथ/अलकन्दा वन प्रभाग गोपेश्वर।
08– प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
09– सहायक भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
10– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी।
11– कार्यालय प्रति।

Signed by Himanshu Khurana
Date: 07-06-2024 15:18:37

(हिमांशु खुराना)
जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)